(129) -201- Rs.10-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

श्रीमती पंचवती यादव पति श्यामसुन्दर यादव, निवासी ग्राम वेलहा तहसील रायपुर कर्चुलिया जिला रीवा (म0प्र0)

R5375-III/16

------------आवेदकगण

बनाम्

प्रहलाद प्रसाद तनय त्रिवेणी प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम पुरैना तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0) ------------अनावेदक

अधिवक्ता श्री अमिताभ चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत
24.8.16

निगरानी बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0) बाबत् प्रकरण क्रमांक - 26/ए12/15-16 आदेश दिनांक 29/7/2016

अन्तर्गत धारा 50 म्याद अधिनियम सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ प्राधिकारी राजस्व निरीक्षक का सीमांकन की कार्यवाही व आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

2. यह कि आवेदिका महिला है तथा हितबद्ध पक्षकार है सरहद्दी कृषक

चराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5375–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के आदेश दिनांक 29–7–2016 की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया जिसमें आवेदक सहित एक अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुये विधिवत हुये सीमांकन की पुष्टि की गई है। आवेदक द्वारा सीमांकन पर तकनिकी आधार पर चुनौती दी गई है, जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये आपत्ति का प्रश्न है सीमांकन से किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं होता है मात्र सीमा का ज्ञान होता है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	